छत्तीसगढ़ शासन

ऊर्जा विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2006–2007

फरवरी– 2007

छत्तीसगढ़ शासन

ऊर्जा विभाग

प्र ाासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006–2007

मा. मंत्री, ऊर्जा	:	डॉ. रमन सिंह, मा. मुख्यमंत्रीजी
मा. मुख्यमंत्रीजी से संबद्ध संसदीय सचिव	:	श्री सत्यानंद राठिया
प्रमुख सचिव, ऊर्जा	:	श्री विवेक ढाँड, भा.प्र.से.
वि ोष सचिव, ऊर्जा	:	श्री देवासीष दास
उप–सचिव, ऊर्जा	:	श्री अनिल टुटेजा
अवर सचिव	:	श्री आर0एन0जोशी

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण		पृष्ठ क्र.
1.	विभागीय दायित्व एवं संरचना		1
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल		2
	संरचना		2
	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की प्रमुख गतिविधियां		3
	अ).	विद्युत उत्पादन	3
		दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु चिन्हांकित परियोजनाएं	3
		ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु चिन्हांकित परियोजनाएं	4
		निजी क्षेत्र की विद्युत उत्पादन परियोजनाएं	7
		जल विद्युत परियोजनाएं	9
	ब).	विद्युत पारेषण एवं वितरण	10
		(i) राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति	11
		(ii) मजरा–टोलों का विद्युतीकरण	11
		(iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	12
		(iv) सिंचाई पंपों का ऊर्जीकरण	13
		(v) अटल ज्योति योजना	14
		(vi) त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.)	14
		(vii) लो–वोल्टेज के निराकरण एवं विद्युत प्रणाली उन्नयन हेतु किये गये विकास कार्य	15
		(viii) राजस्व प्राप्तियां	17
		(ix) आय बढ़ाने हेतु उपाय	18
	स).	राज्य विद्युत मण्डल की विशिष्ट उपलब्धियॉ/योजनाएँ	18
3.	विद्युत अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन		21
4.	छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण		22
5.	छत्तीसगढ़ बायो–फ्यूल विकास प्राधिकरण (सी0बी0डी0ए0)		24
6.	मुख्य विद्युत निरीक्षकालय		25
7.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग		26

ऊर्जा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन
विभागीय प्र□ासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2006–2007

1. विभागीय दायित्व एवं संरचना

ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता होने पर ही राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति सुनि चत हो सकती है। राज्य में परंपरागत तथा अपरंपरागत ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं हैं । ऊर्जा विभाग द्वारा राज्य में ऊर्जा के त्वरित विकास एवं संरक्षण आदि मामलों में नीतिगत निर्णय लेकर उनका क्रियान्वयन सुनि चत किया जाता है, ताकि राज्य के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर की जा सके।

राज्य शासन के ऊर्जा विभाग के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा), छत्तीसगढ़ बायो–फ्यूल विकास प्राधिकरण (सी0बी0डी0ए0) व मुख्य विद्युत निरीक्षकालय आते हैं। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग की भी स्थापना की गई है। राज्य में विभाग की संरचना निम्नानुसार है:–

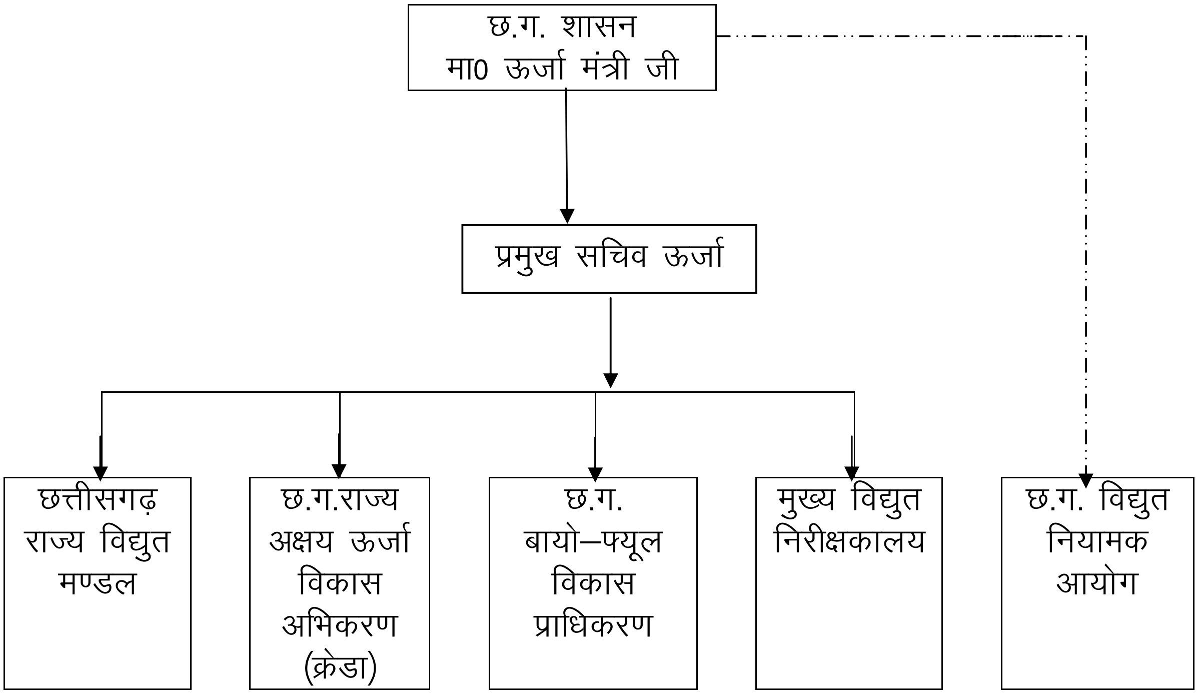

2. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल

संरचना

राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के गठन उपरांत दिनांक 15.11.2000 को अधिसूचना जारी कर विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 की धारा 5 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन किया गया ।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का स्वरूप निम्नानुसार हैः–

1.	**श्री राजीब रंजन**	–	अध्यक्ष
2.	**श्री विवेक ढाँड** (भा.प्र.से.) प्रमुख सचिव, ऊर्जा, छ.ग.शासन	–	सदस्य
3.	**श्री डी.एस.मिश्र** (भा.प्र.से.) प्रमुख सचिव, वित्त, छ.ग.शासन	–	सदस्य
4.	**श्री राजीब रंजन** (अतिरिक्त प्रभार)	–	सदस्य (उत्पा.–परि.)
5.	**श्री एस.पी.चतुर्वेदी**	–	सदस्य (उत्पादन)
6.	**श्री व्ही.के. वर्मा**	–	सदस्य (वित्त)
7.	**श्री मनोज डे**	–	सदस्य (पारे.एवं वित.)
8.	**श्री व्ही.के.जैन**	–	सचिव

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की प्रमुख गतिविधियॉ

अ.) विद्युत उत्पादन

वर्तमान में राज्य विद्युत मंडल की विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1423.85 मेगावाट है, जिसमे 1286 मेगावाट तापीय व 137.85 मेगावाट जल विद्युत है। वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान माह अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 तक 6929.40 मिलियन यूनिट, का उत्पादन तथा विद्युत संयंत्रों का उपयोगिता घटक 78.54 प्रति ात रहा जबकि माह दिसम्बर 2006 में अधिकतम 92.54 प्रति ात रहा। वित्तीय वर्ष के अंत तक 81 प्रति ात संयंत्र उपयोगिता घटक प्राप्त किया जाना संभावित है।

भविष्य में राज्य में होने वाले औद्योगिक विकास व उपभोक्ताओं की विद्युत मांग में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण राज्य में सभी वर्ग के उपभोक्ताओं को निरंतर, वि वसनीय व गुणवत्तापूर्ण विद्युत प्रदाय करने हेतु मण्डल ने विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए दसवीं व ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं हेतु निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए चिन्हांकित किया हैः–

दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु चिन्हांकित विद्युत परियोजनाऍ

कोरबा (पूर्व) ताप विद्युत परियोजना, चरण–पांच (2x250 मेगावाट)

विद्युत गृह स्थापित करने हेतु कार्यादे ा मेसर्स बी.एच.ई.एल. को दिनांक 11.08.03 को दिया गया है। यह परियोजना पूर्ववर्ती 100 मेगावाट विद्युत गृह के स्थान पर स्थापित की जा रही है तथा संयंत्र हेतु भूमि उपलब्ध है। राखड़ बांध हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। परियोजना की कुल लागत 2045 करोड़ रूपये अनुमानित है तथा परियोजना से संबंधित सभी वैधानिक स्वीकृतियॉ प्राप्त की जा चुकी है। परियोजना लागत का 70 प्रति ात ऋण ग्रामीण

विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है। परियोजना निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना की प्रथम इकाई से जुलाई 2007 एवं द्वितीय इकाई से अक्टूबर 2007 से विद्युत उत्पादन प्रारंभ करने की योजना है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु चिन्हांकित विद्युत परियोजनाऍं

ताप विद्युत परियोजनाऍं :–

(i) कोरबा (प□चम) ताप विद्युत परियोजना, चरण–तीन 2X(250 से 300) मेगावाट

इस परियोजना हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम में कार्यरत 4X210 मेगावाट इकाईयों के साथ लगी खाली उपलब्ध भूमि पर 2X(250 से 300) मेगावाट क्षमता की संयंत्र स्थापित की जायेगी। परियोजना की कुल लागत रूपये 2054 करोड़ अनुमानित है। परियोजना लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। परियोजना की तकनीकी वि ाष्टि (Technical Specification) मेसर्स एन.टी.पी.सी. द्वारा तैयार कर ली गई है। इस परियोजना का लाभ 11 वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2009 से प्राप्त होना संभावित है।

(ii) 3x500 (पूर्व में 2x660) मेगावाट ताप विद्युत परियोजना, भैयाथान, जिला – सरगुजा

इस परियोजना हेतु कोयला मंत्रालय ने छ.रा. विद्युत मण्डल की मांग पर परसा कोल ब्लाक, मण्डल को आवंटित किया है। कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए दिनांक 17.11.06 को इस परियोजना को 2X660 मेगावाट के स्थान पर 3X500 मेगावाट करने का संकल्प पारित किया गया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत रूपये 7585.50 करोड़ है। ताप विद्युत परियोजना स्थल का चयन ग्राम लोधिमा तथा मसीरा के पास किया गया है। 2X500 मेगावाट की

इकाई लगाने हेतु राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिये कार्यादे ा जारी किया जा रहा है। विद्युत गृह की प्रथम इकाई को अप्रैल 2011 एवं द्वितीय इकाई को अक्टूबर 2011 में क्रियाशील करना प्रस्तावित है।

(iii) 2x500 मेगावाट मड़वा ताप विद्युत परियोजना, जिला जांजगीर–चांपा

ग्राम मड़वा जिला– जांजगीर–चांपा में 2ग500 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना की कुल लागत रूपये 4498 करोड़ आंकी गई है। परियोजना स्थल का चयन कर लिया गया है। मेसर्स डेजिन, नई दिल्ली द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है। त्वरित पर्यावरणीय प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट मेसर्स बी.एच.ई.एल., हरिद्वार द्वारा तैयार की जा चुकी है। कोयला एवं अन्य उपकरण के परिवहन हेतु परियोजना स्थल से नैला रेल्वे स्टे ान तक रेल लाईन निर्माण की संभाव्यता अध्ययन हेतु मेसर्स राइट्स, गुड़गांव को कार्यादे ा दिया गया है। परियोजना के लिये कोल लिंकेज हेतु आवेदन किया गया है। केप्टिव कोल ब्लाक आवंटन हेतु भी आवेदन किया गया है। परियोजना की प्रथम इकाई नवम्बर 2010 एवं द्वितीय इकाई फरवरी 2011 में क्रिया ील किया जाना प्रस्तावित है।

(iv) 2x500 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना प्रेमनगर, जिला सरगुजा – छ.रा. विद्युत मण्डल एवं इफको का संयुक्त उपक्रम (इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड)

यह परियोजना मेसर्स इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की संयुक्त उपक्रम की ताप विद्युत परियोजना है। यह परियोजना प्रेमनगर, जिला–सरगुजा में स्थापित की जा रही है। परियोजना की लागत रूपये 5100 करोड़ है। इस संयुक्त उपक्रम की परियोजना में छ.रा. विद्युत मण्डल की 26 प्रति ात एवं इफको की 74 प्रति ात

की हिस्सेदारी है। इस परियोजना से उत्पादित विद्युत की 90 प्रति ात खपत करने का अधिकार छ.रा. विद्युत मण्डल को है एवं शेष 10 प्रति ात विद्युत इफको को दी जावेगी। परियोजना की पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति छत्तीसगढ़ शासन को जमा कर दी गई है। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट मेसर्स डी.सी.पी.एल. से प्राप्त हो चुकी है। कंपनी द्वारा संयंत्र, कालोनी एवं राखड़बांध के स्थल का चयन कर लिया गया है। उपक्रम को कोल आपूर्ति छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलेपमेंट कारपोरे ान के तारा कोल ब्लाक से होना नि चत हुआ है। परियोजना की प्रथम इकाई अक्टूबर 2010 एवं द्वितीय इकाई मार्च 2011 में क्रिया ील किया जाना प्रस्तावित है।

(v) **<u>1000 मेगावाट कोरबा (दक्षिण) ताप विद्युत परियोजना</u>**

कोरबा जिले में 2X500 मेगावाट क्षमता की लगभग रूपये 5000 करोड़ लागत से प्रस्तावित कोरबा (दक्षिण) ताप विद्युत परियोजना हेतु पूर्व में मेसर्स देवू पावर लिमिटेड द्वारा रिसदी एवं रिसदा में 760.138 एकड़ अर्जित भूमि को छ.रा. विद्युत मण्डल को हस्तांतरित किये जाने हेतु कलेक्टर कोरबा एवं राज्य शासन के राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया है। परियोजना के लिये कोल लिंकेज हेतु आवेदन किया गया है। कोल ब्लाक के आवंटन हेतु भी आवेदन किया गया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने हेतु मेसर्स मेकॉन को आदे ा जारी कर दिया गया है। परियोजना की प्रथम इकाई अप्रेल 2011 एवं द्वितीय इकाई अक्टूबर 2011 में क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है।

निजी क्षेत्र की ताप विद्युत परियोजनाएं

राज्य में निजी क्षेत्र की 23 कंपनियों के साथ भी 17835 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किये गये हैं । एम.ओ.यू. की शर्तो के अनुसार कंपनी संयंत्र से उत्पादित होने वाली ऊर्जा का 5 प्रति ात भाग शासन को परिवर्तनीय दर पर उपलब्ध करायेगी। यदि परियोजना हेतु कंपनी को राज्य में कोयला खदाने भी आवंटित होती हैं तो ऊर्जा का यह भाग 5 प्रति ात के स्थान पर 7.5 प्रति ात होगा। साथ ही एम.ओ.यू. की शर्तो के अधीन संयंत्र की कुल उत्पादित बिजली के 30 प्रति ात तक के क्रय पर प्रथम अधिकार राज्य शासन अथवा शासन की नामित एजेंसी का होगा। विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	कंपनी का नाम	संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता (मेगावाट में)
1.	मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड, नई दिल्ली	1000
2.	मेसर्स लेंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	900
3.	मेसर्स ए.ई.एस. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नोयडा	1200
4.	मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन लिमिटेड, चेन्नई	1200
5.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	250
6.	मेसर्स एस.व्ही.पॉवर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	1000
7.	मेसर्स मारूति क्लीन कोल प्राइवेट लिमिटेड,रायपुर	270
8.	मेसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को), कोरबा	1200
9.	मेसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुम्बई	600
10.	मेसर्स पाटनी प्रोजेक्टस लिमिटेड, मुम्बई	540
11.	मेसर्स भूषण पावर एण्ड स्टील, नई दिल्ली	1000
12.	मेसर्स डी.बी.पावर लिमिटेड, भोपाल	600
13.	मेसर्स एस्सार पावर लिमिटेड, मुम्बई	1050
14.	मेसर्स रायपुर एलायस, रायपुर	600
15.	मेसर्स टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, मुम्बई	1000
16.	मेसर्स नाल्वा स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, नई दिल्ली	1260
17.	मेसर्स ओपेलिना फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट, नई दिल्ली	1260
18.	मेसर्स बी.ई.सी. पावर प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई	505
19.	मेसर्स एस.के.एस. इस्पात एण्ड पावर प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई	600
20.	मेसर्स कोरबा (वेस्ट) पावर कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली	600
21.	मेसर्स टापवर्थ स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई	600
22.	मेसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	500
23.	मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पावर लिमिटेड, हैदराबाद	100

जल विद्युत परियोजनाऍं

(i) 4x125 मेगावाट बोधघाट जल विद्युत परियोजना

यह परियोजना इंद्रावती नदी पर ग्राम बारसूर जिला दंतेवाड़ा में प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत रूपये 2850 करोड़ है। इस परियोजना हेतु आवश्यक 5704 हेक्टेयर वनभूमि के प्रत्यावर्तन के लिये केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति पूर्व में दिनांक 05.02.04 को दी गई है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पूर्व में उठाये गये बिन्दुओं के परिपालन में बोधघाट परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव एवं संबंधित अध्ययन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

वन भूमि हस्तांतरण की औपचारिक स्वीकृति के साथ–साथ पूर्व में प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना की तकनीकी–आर्थिक स्वीकृति हेतु परियोजना प्रतिवेदन के अद्यतनीकरण का कार्य मेसर्स जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएं, गुड़गांव के द्वारा कराया जा रहा है। इस परियोजना की कार्य अवधि कार्यादेश पश्चात् 60 माह है। यह परियोजना हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु चिन्हांकित है। इस परियोजना को राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन.एच.पी.सी.) के साथ संयुक्त क्षेत्र में स्थापित करने हेतु सहमति पत्र हस्ताक्षरित तथा संयुक्त उपक्रम स्थापित करने हेतु आवश्यक औपचारिकताएं प्रगति पर हैं।

(ii) 1x850 किलोवाट सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना, कोरबा (पश्चिम)

1X850 किलोवाट क्षमता की कोरबा (पश्चिम) में रिटर्न कैनाल पर लगने वाली इस इकाई की निविदा आमंत्रित की गई है। पहले से ही 1X850 किलोवाट

की लघु जल विद्युत इकाई कोरबा (पूर्व) में रिटर्न कैनाल पर कार्य कर रही है, जिसकी सफलता को देखते हुए कोरबा (पि चम) में उक्त इकाई प्रस्तावित है।

अन्य जल विद्युत परियोजनाएं

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित निम्न 5 जल विद्युत परियोजनाओं के पूर्व संभावना प्रतिवेदन (प्री फीजिबिलिटी रिपोर्ट), मेसर्स जल एवं विद्युत पराम र्श सेवाएं, गुड़गांव द्वारा तैयार कराए गए हैंः–

1.	रेहार–1 जल विद्युत परियोजना	जिला सरगुजा	171 मेगावाट
2.	रेहार–2 जल विद्युत परियोजना	जिला सरगुजा	147 मेगावाट
3.	नुगुर–1 जल विद्युत परियोजना	जिला दंतेवाड़ा	170 मेगावाट,
4.	नुगुर–2 जल विद्युत परियोजना	जिला दंतेवाड़ा	210 मेगावाट
5.	कोटरी जल विद्युत परियोजना	जिला बस्तर	150 मेगावाट
		योग	**848 मेगावाट**

उपरोक्त परियोजनाओं की प्रीफीजिबिलिटी रिपोर्ट के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाने के लिये राज्य विद्युत मण्डल में कार्यवाही विचाराधीन है।

ब) विद्युत पारेषण एवं वितरण

विद्युत मण्डल द्वारा विद्युत प्रणाली में विद्युत को राज्य के सभी अंचलों में पहुंचाने तथा उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, वि वसनीय तथा निरंतर विद्युत प्रदाय सुनि चत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2006–07 के दौरान माह अप्रेल 2006 से दिसम्बर 2006 तक 220/132 के.व्ही. 160 एम.व्ही.ए. क्षमता का एक उपकेन्द्र, 2 नग 132/33 के.व्ही. 60 एम.व्ही.ए. उपकेन्द्र, 3 नग 100 एम.व्ही.ए. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर, 5 नग 87.5 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि तथा 236.62 सर्किट कि.मी. अति उच्चदाब लाईनों का निर्माण किया गया है, जिसमें लगभग रूपये 213.94 करोड़ व्यय हुआ है। इस वर्ष

मार्च 2007 तक 3 नग 220 के.व्ही. उपकेन्द्रों तथा 3 नग 132 के.व्ही. उपकेन्द्रों के निर्माण का कार्य तथा उससे संबंधित लाईनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें लगभग रूपये 200 करोड़ का व्यय संभावित है।

ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

(i) राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति

1. राज्य में कुल आबाद ग्राम (2001की जनगणनानुसार) – 19744
2. विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (परंपरागत–अपरंपरागत स्त्रोत)

   अ.) 31.03.06 की स्थिति में विद्युतीकृत ग्राम – 18630
   ब.) वर्ष 2006–07 में 31.12.06 तक विद्युतीकृत ग्राम – 41
   स.) 31.12.06 की स्थिति में कुल विद्युतीकृत ग्राम – 18671
   द.) लक्ष्य–वर्ष 2006–07 (20 ग्राम परंपरागत + 35 ग्राम अपरंपरागत) – 55
3. राज्य में विद्युतीकृत ग्रामों का प्रति ात (31.12.06 की स्थिति में) – 94.57%
4. 31.12.06 की स्थिति में अविद्युतीकृत ग्रामों की संख्या – 1073

(ii) मजरा/टोलों का विद्युतीकरण

1. राज्य में मजरा–टोलों की अनुमानित संख्या – 35096
2. राज्य गठन के पूर्व तक कुल विद्युतीकृत मजरा–टोलों की संख्या (परंपरागत स्त्रोत) – 10375
3. राज्य गठन के प चात 31.12.06 तक विद्युतीकृत मजरा–टोलों की संख्या (परंपरागत +अपरंपरागत स्त्रोत) – 7619
4. वर्ष 2006–07 हेतु मजरा–टोला विद्युतीकरण का लक्ष्य – 1259
5. वर्ष 2006–07 में 31.12.06 तक विद्युतीकृत मजरे–टोले – 1019
6. छत्तीसगढ़ में 31.12.06 तक विद्युतीकृत कुल मजरा–टोलों की संख्या 2+3(अपरंपरागत स्त्रोत मिलाकर) – 17994
7. विद्युतीकृत मजरा–टोलों का प्रति ात – 51.27%
8. 31.12.06 की स्थिति में अविद्युतीकृत मजरा–टोलों की संख्या – 17102

(iii) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2009 तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी आवासों तक विद्युत उपलब्ध कराया जाना है। यह केन्द्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। राज्य शासन/विद्युत मण्डल ने उक्त योजना के अंतर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने से लेकर कार्य सम्पन्न कराने तक केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम यथा एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी. तथा पी.जी.सी.आई.एल. को क्रम ाः सात, पांच एवं चार जिलों के कार्य सौंपे गये हैं, एन.एच.पी.सी. ने उन्हें सौंपे गये सभी सात जिलों का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाकर स्वीकृति हेतु छ.रा.विद्युत मण्डल के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत किया है, जिसमें से जिला–कबीरधाम एवं दुर्ग के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। इसी प्रकार एन.टी.पी.सी. ने पांचों जिले के प्रतिवेदन बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत किया है, जिसमें से जिला जांजगीर–चांपा, कोरबा एवं बिलासपुर के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। पी.जी.सी.आई.एल. ने भी चार जिलों में से तीन जिलों के प्रतिवेदन बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को प्रस्तुत किया है, एवं शेष जिला बस्तर का प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जा रहा है। प्रस्तुत की गई दस जिलों के परियोजना प्रतिवेदनों की स्वीकृति अभी तक अप्राप्त है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रिड विस्तार के माध्यम से ग्रामों का शत–प्रति ात विद्युतीकरण किये जाने प्रावधान है। वनबाधित ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु राज्य शासन द्वारा अपरंपरागत विधि से विद्युतीकरण करने हेतु क्रेडा को अधिकृत किया गया है। उनके द्वारा ही वनबाधित ग्रामों/मजरा–टोलों का अपरंपरागत स्त्रोत से विद्युतीकरण किया जाना है।

(iv) सिचाई पंपों का ऊर्जीकरण

1. छत्तीसगढ़ गठन के समय उपलब्ध पंप कनेक ान(ऊर्जीकरण) – 73369 पंप
2. छत्तीसगढ़ गठन के प चात् 31.03.06 तक दिये गये कनेक ान– 60658 पंप
   (55628 स्थायी + 5030 अर्द्धस्थायी)
3. वर्ष 2006–07 में 31.12.06 तक दिये गये कनेक ान – 11946 पंप
   (9181 स्थायी + 2765 अर्द्धस्थायी)
4. राज्य गठन प चात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा 31.12.06 तक ऊर्जीकृत किये गये कुल पंप कनेक ान – 67574 पंप
   (जिसमें अर्द्धस्थायी पंप भी सम्मिलित हैं।)
5. राज्य में 31.12.06 तक कुल ऊर्जीकृत पंप कनेक ान – 140943पंप
   (जिसमें अर्द्धस्थायी पंप भी सम्मिलित हैं।)

<u>योजनाएं जो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के प□चात प्रारंभ हुई</u>

1. **किसान समृद्धि योजना** के अंतर्गत जारी पंप कनेक ान

   (अ) 31.03.06 तक की प्रगति – 5014 पंप

   (ब) वर्ष 2006–07 में 31.12.06 तक की प्रगति – 1347 पंप

   (स) 31.12.06 की स्थिति में कुल प्रगति – 6361 पंप

2. **गांव–गंगा योजना** के अंतर्गत जारी पंप कनेक ान

   (अ) 31.03.06 तक की प्रगति – 4108 पंप
   (658 स्थायी + 3450 अस्थायी)

   (ब) वर्ष 2006–07 में 31.12.06 तक की प्रगति – 09 पंप
   (02 स्थायी + 07 अस्थायी)

   (स) 31.12.06 की स्थिति में कुल प्रगति – 4117 पंप
   (660 स्थायी + 3457 अस्थायी)

(v) अटल ज्योति योजना

केन्द्र शासन की ग्रामीण विद्युतीकरण नीति के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में किसी प्रकार भेदभाव न हो, इसी उद्दे य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन ने अभूतपूर्व निर्णय लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के आवासीय क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण एवं 24 घंटे निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनि चत करने के लिये पंपों को सीधे 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों से विद्युत लाईन डालकर अलग करने की योजना बनायी है। इस योजना हेतु वर्ष 2005–06 में रूपये 25 करोड़ एवं वर्ष 2006–07 में रूपये 50 करोड़ का आवंटन राज्य शासन द्वारा छ.रा. विद्युत मण्डल को किया गया है तथा रूपये 50 करोड़ अगले वित्त वर्ष में उपलब्ध कराने हेतु आगामी बजट में प्रावधान किया जा रहा है।

(vi) त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी)

विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, ऊर्जा हानि कम किये जाने, विद्युत उपभोक्ताओं की सेवा में सुधार किये जाने आदि हेतु केन्द्र शासन की त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) योजना है। केन्द्र शासन द्वारा त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के तहत स्वीकृत योजना लागत की 25 प्रति ात रा ि अनुदान के रूप में एवं 25 प्रति ात रा ि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई थी शेष 50 प्रति ात रा ि का वहन मण्डल को स्वयं के संसाधनों से उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ राज्य में त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम की स्थितिः–

क्रिया ील त्वरित ऊर्जा विकास सुधार कार्यक्रम की कुल 07 योजनायें हैं यथा

क) रायपुर– इस योजना में जिला रायपुर, धमतरी एवं महासमुंद समाहित हैं।
ख) बिलासपुर– इस योजना में जिला बिलासपुर, चांपा–जांजगीर एवं कोरबा समाहित है।
ग) राजनांदगांव– इस योजना में जिला राजनांदगांव एवं कवर्धा समाहित है।
घ) रायपुर (शहर)
च) दुर्ग (शहर)
छ) भिलाई (शहर)
ज) जगदलपुर (शहर)

उक्त स्वीकृत योजनाओं की स्वीकृत राशि, आवंटित राशि एवं दिनांक 31.12.06 तक किये गये कार्यो में व्यय की गई राशि की स्थिति निम्नानुसार हैः–

क्र.	स्वीकृत योजनाओं का नाम	स्वीकृत राशि	आवंटित राशि	31.12.06 तक किये गये कार्यो में व्यय की गई राशि	योजना के अतंर्गत शेष राशि
1.	रायपुर (संचा./संधा.) वृत्त	119.42	159.21	72.62	46.80
2.	बिलासपुर (संचा./संधा.) वृत्त	104.97		48.80	56.17
3.	राजनांदगांव(संचा./संधा.) वृत्त	49.27		31.79	17.48
4.	रायपुर (शहर)वृत्त	47.20		16.02	31.18
5.	भिलाई (शहर)	15.79		6.54	9.25
6.	दुर्ग (शहर)	13.32		5.02	8.30
7.	जगदलपुर (शहर)	3.33		––	3.33
	कुल योग	**353.30**	**159.21**	**180.79**	**172.51**

योजना के अंतर्गत शेष राशि में से रूपये 60 करोड़ का व्यय 31 मार्च 2007 तक होने वाले कार्यो में होने का अनुमान है।

(vii) <u>लो–वोल्टेज के निराकरण एवं विद्युत प्रणाली उन्नयन हेतु किये गये विकास कार्य</u>

राज्य में लो–वोल्टेज की समस्या के निराकरण हेतु छ.रा. विद्युत मण्डल गठन से दिनांक 31 दिसम्बर 06 तक के किये गये विकास कार्यो का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. नये 220/132 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण – 04 नग (कोतमीकला, गुरूर मोपका एवं सिलतरा)
2. विद्यमान 220/132 के.व्ही. उपकेन्द्र में क्षमता वृद्धि – कोरबा पूर्व के 02 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि
3. नये 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण – 21 नग (सारंगढ़, कवर्धा,कचना, सरायपाली, कांकेर,डोंगरगढ़, सक्ती, राजिम, अकलतरा, मुंगेली, धमधा, बैकुण्ठपुर, कुरूद, सेक्टर–सी उरला, गुण्डरदेही, नवागढ़, साजा, घरघोड़ा, तुलसी, बरमकेला एवं जशपुर)

4. विद्यमान 132 / 33 के.व्ही. उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि	– 17 उपकेन्द्रों में (चांपा, बलौदाबाजार, सिमगा, कोरबा पूर्व, गुढ़ियारी, धमतरी, महासमुंद, जगदलपुर में दो, अंबिकापुर में दो, राजनांदगांव, भाटापारा, कांकेर, दर्री, मोपका एवं कवर्धा)
5. (अ) 220 / 132 के.व्ही. उपकेन्द्रों में अतिरिक्त की स्थापना	– 03 अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना (रायगढ़, भाटापारा एवं उरला)
(ब) 132 / 33 के.व्ही. उपकेन्द्रों में ट्रांसफार्मरों की स्थापना	– 15 अतिरिक्त ट्रांसफार्मरों की स्थापना अंबिकापुर, मोपका, दल्लीराजहरा, रूआंबांधा, कचना, कवर्धा, पत्थलगांव, भिलाई–3, उरला में दो, बीरगांव, सिलतरा, बैकुण्ठपुर, रायगढ़ एवं सरायपाली)
6. अति उच्चदाब की लाईनों का निर्माण	
(अ) 220 के.व्ही.	– 204 सर्किट कि.मी.
(ब) 132 के.व्ही.	– 859 सर्किट कि.मी.
7. नये 33 / 11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण	– 240 नग
8. 33 के.व्ही. लाईनों का निर्माण	– 4148 कि.मी.
9. 33 के.व्ही. उपकेन्द्रों में	
अ. अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की स्थापना	– 95 नग
ब. क्षमता में वृद्धि	– 295 नग
10. 11 के.व्ही. लाईनों का निर्माण	– 10095 कि.मी.
11. नये 11 / 0.4 के.व्ही. वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना	– 16232 नग
12. विद्यमान 11 / 0.4 के.व्ही. वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता में वृद्धि	– 5180 नग
13. निम्नदाब लाईनों का निर्माण	– 25447 कि.मी.
14. उक्त कार्यो में किया गया कुल व्यय	– लगभग रू. 1528 करोड़

(viii) राजस्व प्राप्तियॉ

मण्डल की आय का मुख्य स्त्रोत उपभोक्ताओं से विद्युत बिलों के रूप में प्राप्त होने वाला राजस्व है। इसके अतिरिक्त अंतर्राज्यीय विद्युत विक्रय से मण्डल को राजस्व प्राप्त होता है। विभिन्न मदों में वर्ष 2005–06 के वास्तविक तथा वर्ष 2006–07 (माह दिसम्बर 06 तक) की वार्षिक राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

(करोड़ में)

क्र0	विवरण	वर्ष 2005–06 के लिये प्राप्त वास्तविक राजस्व	वर्ष 2006–07 में में (माह दिसम्बर 06 तक) प्राप्त राजस्व (प्रावधिक)
1.(अ)	राज्य के अंदर विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व (नगद आधार पर विद्युत शुल्क एवं उपकर को सम्मिलित करते हुए) (विविध आय सहित)	2856.66	2255.17
(ब)	अंतर्राज्यीय विद्युत विक्रय से प्राप्त राजस्व (नगद आधार पर)	76.64	39.64
	विद्युत के विक्रय से प्राप्त कुल राजस्व	**योग 2933.30**	**2294.81**
2.	गैर लाभकारी कार्यो हेतु प्रतिपूर्ति	66.00	66.00
3.	निःशुल्क विद्युत प्रदाय के मद में प्राप्त प्रतिपूर्ति	26.72	20.05
	कुल राजस्व प्राप्तियां	**महायोग 3026.02**	**2380.86**

राजस्व आय

(वर्ष 2006–07 हेतु अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 तक)

1.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की वर्तमान मासिक औसत आय	– रू. 255 करोड़
2.	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल के गठन के पूर्व मासिक औसत आय	– रू. 141 करोड़
3.	राजस्व आय में औसत मासिक वृद्धि	– रू. 114 करोड़
4.	राज्य के बाहर केप्टिव पॉवर के विक्रय एवं अन्य स्त्रोतों से प्राप्त औसत मासिक आय	– रू. 4.40 करोड़
5.	राजस्व आय में कुल औसत मासिक वृद्धि	– रू.118.40करोड़

(ix) आय बढ़ाने हेतु उपाय

1. विद्युत चोरी रोकने हेतु मण्डल में वृत्त स्तर पर सतर्कता दल का गठन एवं कनेक ानों की सघन जांच ।
2. सभी कनेक ानों में इलेक्ट्रानिक/हाई प्रेसिजन मीटर लगाना।
3. विद्युत चोरी की जानकारी देने वालों को पुरस्कृत करना ।
4. बकाया राि ा वसूली हेतु कड़ी कार्यवाही ।
5. वर्षो से लंबित शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थानों से बकाया राि ा की वसूली ।
6. बंद/खराब मीटरों को योजनाबद्ध तरीके से शीघ्रताशीघ्र बदलना ।

(स) राज्य विद्युत मण्डल की विशिष्ट उपलब्धियॉ/योजनाऍ

- राजस्व संग्रहण में सुधार– छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल गठन के उपरांत मण्डल ने राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2001–02 के दौरान औसत राजस्व संग्रहण रू. 161.33 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2006–07 (दिसम्बर 06 तक) में औसत राजस्व संग्रहण रू0 253.00 करोड़ है जो 56. 82 प्रति ात की वृद्धि द ाता है।

- मण्डल का नगद आधिक्य एवं उसका उपयोग– मण्डल गठन के प चात से दिसम्बर 2006 तक मण्डल द्वारा स्वयं के नगद आधिक्य से मुख्यतः निम्न मदों में निवे ा व्यय किया गया:–

i)	पूँजीगत कार्यो में निवे ा व्यय (अनुमानित)	–	रू. 1922 करोड़
ii)	मण्डल विभाजन अंतर्गत दायित्वों का भुगतान	–	रू. 733 करोड़
iii)	छ.रा.वि.मं. पें ान एवं ग्रेज्युटी फंड ट्रस्ट को भुगतान/निवे ा	–	रू. 1140 करोड़
iv)	छत्तीसगढ़ राज्य शासन को भुगतान	–	रू. 205 करोड़
	कुल व्यय	–	**रू. 4000 करोड़**

- मण्डल के पुराने ताप विद्युत गृहों के जीर्णोद्धार कार्य पर लगभग रू. 375 करोड़ व्यय प चात लगभग 100 मेगावाट का अतिरिक्त विद्युत उत्पादन हो रहा है एवं संयंत्रों का जीवन काल भी लगभग 20 वर्ष और बढ़ गया है।
- वर्ष 2000–01 में ताप विद्युत गृहों का संयंत्र उपयोगिता घटक 65.72 प्रति ात था जो वर्ष 2005–06 में बढ़कर 79.77 प्रति ात हो गया। इस दौरान वि ाष्ट तेल खपत 2.14 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई से घटकर 1.27 मि.ली. प्रति विद्युत इकाई हो गया है। संयंत्र खपत विद्युत खपत 10.07 प्रति ात से घटकर 9.58 प्रति ात एवं जल खपत 3.98 प्रति ात से घटकर 1.86 प्रति ात हुई ।
- विद्युत मण्डल द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण, मार्च 2008 तक शत–प्रति ात मीटरिंग कर, लागू किया जावेगा ।
- तीन वर्षो में यथा वर्ष 2005–06 में 25,000 वर्ष 2006–07 में 35,000 एवं वर्ष 2007–08 में 40,000 पम्प इस प्रकार कुल एक लाख पंप कनेक ान जारी करने की योजना लागू की गई है, जिसमें वर्ष 2005–06 में 25645 पंप तथा वर्ष 2006–07 में (दिनांक 31.12.2006 तक) 20767 पंप इस प्रकार कुल 46,412 पंपों के विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कि वार्षिक लक्ष्यों का 77.4 प्रति ात है।
- प्रत्येक वितरण केन्द्र में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु ि ाकायत निवारण ि ाविरों का आयोजन प्रारंभ किया गया– पहला ि ाविर 16 अगस्त से 27 सितम्बर 2004 तक, दूसरा ि ाविर 27 जनवरी से 28 फरवरी 2005 तक, तीसरा ि ाविर 10 नवम्बर 2005 से 09 दिसम्बर 2005 तक एवं

चौथा ि ाविर 04 दिसम्बर 2006 से 23 दिसम्बर 2006 तक आयोजित किया गया। इनमें प्राप्त ि ाकायतों का निराकरण किया जा रहा है।

- उपभोक्ताओं को विद्युत संबंधी ि ाकायतों के लिए सीधे मण्डल अध्यक्ष से सम्पर्क हेतु ''फोन इन'' कार्यक्रम दिनांक 22 जनवरी 2005 को आयोजित किया गया। दूसरी बार ''फोन इन'' का कार्यक्रम 01 अक्टूबर 2005 को किया गया जिसमें मण्डल अध्यक्ष द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं से दूरभाष पर चर्चा की गई। इसमें प्राप्त ि ाकायतों का निराकरण कर दिया गया है।
- प्रदे ा में प्रमुख शहरों में विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिदिन आने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये उपभोक्ता सेवा केन्द्र रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग–भिलाई शहरों में स्थापित किये गये हैं, जहां उपभोक्ता किसी भी प्रकार की समस्या दर्ज करा सकते हैं जिनको प्राथमिकता से निराकरण के पश्चात उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है।
- उपभोक्ताओं की सुविधा में वृद्धि के साथ गुणात्मक संचारण एवं संधारण व्यवस्था को मुहैया कराने के दृष्टि से छ.रा. विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 2006–07 में नये 1 सिटी सर्किल, 2 सिटी संभाग, 7 (संचारण एवं संधारण) संभाग, 5 (संचारण एवं संधारण) उप– संभाग एवं 25 वितरण केन्द्र कार्यालयों का सृजन कर कार्य प्रारंभ किया गया। इन कार्यालयों पर कुल 768 अधिकारी/कर्मचारी पदस्थ होकर कार्य करेंगे ।
- ऊर्जा सूचना प्रौद्योगिकरण योजना के तहत छ.रा. विद्युत मण्डल द्वारा सेप (SAP) प्रणाली की स्थापना कर उसके माध्यम से राज्य के समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों, वृत्तीय कार्यालयों के साथ संभागीय कार्यालयों को भी जोड़ लिया जिनके फलस्वरूप जानकारी आदान–प्रदान के अतिरिक्त विद्युत बिल बिलिंग का भी कार्य त्वरित गति से हो सकेगा
- प्रदे ा के समस्त उपभोक्ताओं को मार्च 2008 तक सूचीबद्ध (कंज्यूमर इंडेक्सिंग) करने का कार्य प्रगति पर है।
- त्वरित ऊर्जा विकास एवं सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 31.12.06 तक केन्द्र सरकार द्वारा 353.30 करोड़ रू. स्वीकृत किये गये। इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 180.79 करोड़ रू. के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
- 6 मेगावाट को–जनरे ान पावर प्लांट, कवर्धा को दिनांक 10.08.06 को चालू किया गया।
- 7 मेगावाट (2X3.5 मेगावाट) जल विद्युत गृह, सिकासार दिनांक 06.09.06 को चालू किया गया ।

- राजनांदगांव में क्षेत्रीय प्र ाासनिक भवन का निर्माण– राजनांदगांव जिला मुख्यालय में लगभग एक करोड़ रू. की लागत से एक तीन मंजिले क्षेत्रीय प्र ाासनिक भवन का निर्माण माह सितम्बर 2006 में पूर्ण किया गया है।
- ऊर्जा पार्क, रायपुर में संगीतमय फव्वारे का निर्माण– छ.रा. विद्युत मण्डल द्वारा ऊर्जा पार्क, रायपुर में लगभग 70 लाख रू. की लागत से एक रंगीन संगीतमय फव्वारे का निर्माण दिसम्बर 2006 में पूर्ण किया गया तथा इसका लोकार्पण दिनांक 11.01.07 को किया गया ।
- मण्डल मुख्यालय, रायपुर में बहुमंजिले मुख्यालय भवन का निर्माण–छ.रा. विद्युत मण्डल के डंगनिया परिसर में लगभग 5 करोड़ रू. लागत से एक छः मंजिला सेवा भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके अगस्त 2007 तक पूर्ण होने की संभावना है।
- ऊर्जा पार्क, कवर्धा में संगीतमय फव्वारे का निर्माण– मण्डल द्वारा ऊर्जा पार्क, कवर्धा में लगभग 35 लाख रू. की लागत से एक संगीतमय फव्वारे का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसे मार्च 2007 तक पूर्ण कर लिये जाने की संभावना है।
- क्षेत्रीय प्र ाासनिक भवन, जगदलपुर– छ.रा. विद्युत मण्डल के 132 के.व्ही. उपकेंन्द्र परिसर, जगदलपुर में लगभग एक करोड़ की लागत से तीन मंजिला क्षेत्रीय प्र ाासनिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- क्षेत्रीय प्र ाासनिक भवन, बिलासपुर– छ.रा. विद्युत मण्डल के बिलासपुर स्थित तिफरा परिसर में लगभग एक करोड़ की लागत से तीन मंजिला क्षेत्रीय प्र ाासनिक भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2007 तक पूर्ण कर लिए जाने की संभावना है।.

3. विद्युत अधिनियम 2003 का क्रियान्वयन

केन्द्र सरकार द्वारा 10 जून, 2003 से विद्युत अधिनियम 2003 अधिसूचित कर दिया गया है। तदनुसार उपरोक्त अधिनियम राज्य में 10 दिसम्बर, 2003 से प्रभाव ाील हो गया है। विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत विद्युत मण्डल का पुनर्गठन किया जाना है। अधिनियम की धारा–17 2 (ए) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार इसको आगामी 09 जून, 2007 तक बढ़ाया गया है। विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विद्युत मण्डल के पुनर्गठन हेतु राज्य शासन द्वारा अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है।

(4) छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण

गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों के दोहन तथा पारंपरिक ऊर्जा संरक्षण के उद्दे य से मई 2001 में अभिकरण का गठन किया गया। केन्द्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रदे ा में अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत पर आधारित विभिन्न परियोजनाओं एवं लघु जल विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) का प्रधान कार्यालय रायपुर में है। इसके अंतर्गत पांच क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, बस्तर व सरगुजा में हैं एवं पन्द्रह जिला कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, धमतरी, कांकेर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर–चांपा, ज ापुरनगर, बस्तर, सरगुजा, कोरिया, व दंतेवाड़ा मे हैं।

(अ) **वर्ष 2006–07 की योजनाओं के मुख्य बिन्दु**

वर्ष 2006–07 हेतु ऊर्जा के अपारंपरिक स्त्रोतों को प्रदे ा में बढ़ावा देने के उद्दे य से क्रेडा द्वारा कुल रूपये 2914.74 लाख का बजट प्रावधान किया गया। क्रेडा द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार हैः–

01. **सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रमः**– इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल रूपये 759.91 लाख के प्रावधान से 3325 होमलाईट, 382 सड़कबत्तियां, 50 सामुदायिक प्रका ा संयंत्र तथा 95 सोलर पंप स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। आलोच्य वर्ष में दिसम्बर 06 तक 450 होमलाईट, 53 सड़कबत्तियां, 42 सोलर जनरेटर, 63 सामुदायिक प्रका ा संयंत्र तथा 17 सोलर पंप का कार्य पूर्ण हो चुका है। लक्ष्य पूर्ति में कमी का कारण केन्द्र सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त न होना है।

02. **घरेलू बायोगैस संयंत्रः**– रूपये 275.08 लाख के परिव्यय से 6875 संयंत्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, परंतु केन्द्र शासन से 1500 संयंत्रों की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण दिसम्बर 06 तक केवल 1367 संयंत्र ही स्थापित हुए हैं।

03. **<u>सौर तापीय कार्यक्रमः</u>**– इस कार्यक्रम के तहत रूपये 19.75 लाख के प्रावधान से 75000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के सौर गर्म जल संयंत्र लगाने का प्रावधान है, जिसमें से अब तक 10000 लीटर से अधिक क्षमता के संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

04. **<u>ग्रामीण विद्युतीकरणः</u>**– इस कार्यक्रम के अंतर्गत 250 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये 1520.00 लाख रूपये का प्रावधान रखा गया है । इन ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये प्रस्ताव केन्द्र सरकार को वित्तीय सहायता हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी स्वीकृति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रावधान के विरूद्ध अभी तक राज्य शासन से राशि आहरित नहीं की गई है। क्रेडा के शासी निकाय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार केन्द्र शासन की स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्य शासन के अनुदान से कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। तदानुसार कार्य प्रारंभ किया जा चुका है तथा 71 ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण हो चुका है एवं 141 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर है।

05. **<u>बायो–फ्यूलः</u>**– बायो–फ्यूल के प्रदेश में विस्तार व विकास के लिये रूपये 1500.00 लाख का प्रावधान है । विभिन्न विभागों के समन्वय से अब तक लगभग 21.14 करोड़ जेट्रोफा (रतनजोत) के पौधे लगाये जा चुके हैं। रायपुर में बायोडीजल का एक संयंत्र भी स्थापित किया जा चुका है। उत्पादित बायोडीजल का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्रीजी के वाहन तथा क्रेडा के वाहनों में किया जा रहा है।

(ब) क्रेडा द्वारा अर्जित विशेष उपलब्धियाँः–

01. क्रेडा द्वारा अब तक 381 गांवों तथा 73 मजरे टोलों का विद्युतीकरण सौर फोटोवोल्टाईक प्रणाली के माध्यम से किया जा चुका है।

02. प्रदेश में अब तक कुल 19156 घरेलू बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जा चुका है।

03. धान की भूंसी (बायोमास) से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में क्रेडा ने महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल की है। कुल 310 मेगावाट क्षमता के 34 संयंत्रों के लिये क्रेडा ने अनुमति जारी की है, जिनमें से कुल 116.50 मेगावाट क्षमता के 14 संयंत्र स्थापित हो चुके हैं।

04. प्रदे ा में कुल 228.30 मेगावाट क्षमता की 27 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुबंध हो गया है। लगभग 35 मेगावाट क्षमता की 08 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आगामी 2 वर्षो में सभी परियोजनाएं संचालित हो जायेंगी ।

05. अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों को बढ़ावा देने के उद्दे य से राज्य शासन द्वारा लिये गये एक अहम निर्णय के अनुसार प्रदे ा में अब किसी भी शासकीय विभाग द्वारा विद्युत गीजर के क्रय करने पर रोक लगाई गई है तथा गर्म जल की आपूर्ति केवल सौर गर्म जल संयंत्र से ही करने का निर्णय लिया गया है। इस तरह सौर गर्म जल संयंत्र के प्रयोग को अधिकाधिक बढ़ावा मिलने से बिजली की बचत होगी ।

(5) छत्तीसगढ़ बायो–फ्यूल विकास प्राधिकरण (सी.बी.डी.ए.)

प्रदे ा में रतनजोत, करंज आदि वृक्षों के बीज से बायो–डीजल उत्पादन की अपार संभावनाओं को देखते हुए छत्तीसगढ़ बायो–फ्यूल विकास प्राधिकरण (सी.बी.डी.ए.) का गठन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26 जनवरी,2005 को किया गया है। गठन के प्रथम दो वर्षो में ही विभिन्न शासकीय विभागों से समन्वयन कर लगभग 21.14 करोड़ जेट्रोफा (रतनजोत) के पौधे लगाये गये। वर्ष 2007–08 में भी 20 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर में बायो–डीजल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जा चुका है व बायो–डीजल का उत्पादन भी किया जा रहा है।

(6) मुख्य विद्युत निरीक्षक

रायपुर में स्थित विद्युत निरीक्षकालय के मुख्यालय में मुख्य विद्युत निरीक्षक, विभागाध्यक्ष के रूप में पदस्थ हैं। निरीक्षकालय के अंतर्गत 02 संभागीय कार्यालय तथा 08 उपसंभागीय कार्यालय कार्यरत हैं। निरीक्षकालय का प्रमुख कार्य विद्युत शुल्क का संग्रहण तथा वर्तमान में लागू विद्युत अधिनियमों के अधीन प्रभाव ील विभिन्न विद्युत नियमों/उपनियमों का पालन करवाना है। उपरोक्त संदर्भ में विद्युत संस्थापनाओं का प्रारंभिक तथा समय–समय पर विस्तृत निरीक्षण निरीक्षकालय के अधिकारियों द्वारा किया जाकर संस्थापनाओं में त्रुटियॉं पाई जाने पर नियमान्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनि चत किया जाता है।

मानव जीवन के लिये अत्यंत उपयोगी विद्युत शक्ति उचित सावधानियॉं नहीं बरतने पर घातक दुर्घटना को जन्म दे सकती है। विद्युत के उपभोग में परिपालन किए जाने वाली सावधानियों हेतु ि ाक्षित कर, प्रि ाक्षित अनुज्ञा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जाना इत्यादि कार्य निरीक्षकालय के द्वारा किए जाने से विद्युत दुर्घटनाओं से जन–धन की हानि रोकी जाती है।

शासन द्वारा वर्ष 2006–07 हेतु निर्धारित रूपये 440.90 करोड़ विद्युत शुल्क एवं उपकर के लक्ष्य के विरूद्ध दिसम्बर 2006 तक रूपये 232.14 करोड़ राजस्व की उगाही कर ली गयी है। निरीक्षकालय से प्राप्त राजस्व आय पुनः विद्युत विस्तार के कार्यो में उपयोग की जाती है। इस प्रकार निरीक्षकालय द्वारा विद्युत प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है।

(7) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग .

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन विद्युत क्षेत्र में सुधार की दि ॥ में एक महत्वपूर्ण कदम है। आयोग की संरचना निम्न है:–

(1)	श्री एस.के. मिश्र	–	अध्यक्ष
(2)	श्री शरत चन्द्र	–	सदस्य

आयोग के प्रमुख कार्यो में विद्युत दरों (टैरिफ) का अवधारण, विद्युत पारेषण एवं व्यापार के लिए लाईसेंस प्रदान करना, उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, विद्युत क्षेत्र में गुणवत्ता एवं वि वसनीयता के बारे में मानकों का निर्धारण कर उनका पालन सुनि चत करना, इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, वैकल्पिक ऊर्जा स्त्रोत से विद्युत उत्पादन एवं सह–उत्पादन को बढ़ावा देने, लायसेंसियो और उत्पादन कंपनियों के मध्य विवादों का अधिनिर्णय करना और माध्यस्थम (Arbitration) के लिए किसी विवाद को निर्दिष्ट (Refer) करना आदि तथा राज्य शासन को विद्युत उद्योग में प्रतियोगिता, दक्षता, मितव्ययता, पूँजी–निवे ा, पुनर्गठन आदि विषयों पर पराम र्श देना शामिल है।

विद्युत अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत आयोग ने राज्य विद्युत सलाहकार समिति विनियम बनाकर एक राज्य विद्युत सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें कुल 21 सदस्य हैं।

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल की टैरिफ याचिका पर समस्त वैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाते हुए दिनांक 15 जून 2005 को प्रथम टैरिफ आदे ा पारित किया जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात प्रथम बार विद्युत की सं ोधित दरें 01 जुलाई, 2005 से प्रभाव ील हुई। आयोग द्वारा दिनांक 13.09.2006 को द्वितीय टैरिफ आदे ा पारित किया गया जिसके अनुसार राज्य में विद्युत की सं ोधित दरें 1 अक्टूबर 2006 से लागू हैं। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 86 (ई) में प्रावधानित उपबंधों के पालनार्थ राज्य में गैरपरंपरागत विद्युत उत्पादन स्त्रोतों से विद्युत के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्दे य से आयोग द्वारा बॉयोमास आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्रों से उत्पादित विद्युत को

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल द्वारा क्रय किये जाने के संबंध में नीतिगत निर्दे ों को दिनांक 11 नवम्बर, 2005 के आदे ा के अनुसार जारी किये गये ।

विद्युत अधिनियम 2003 में विहित प्रावधानों के अनुसार आयोग को अपनी कार्यप्रणाली स्वयं निर्धारित करने की शक्तियां प्राप्त है एवं इस हेतु विनियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है। इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा अभी तक निम्नलिखित कुल 18 विनियम तैयार किये गये हैं:–

1. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (कार्य संचालन) विनियम, 2004
2. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (अनुज्ञप्ति) विनियम, 2004
3. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (राज्य सलाहकार समिति) विनियम, 2004
4. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (उपभोक्ताओं की ि ाकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004
5. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (ुल्क एवं प्रभार) विनियम, 2004
6. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कम्पनी और अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिये जाने वाले विवरण एवं आवेदन देने की रीति) विनियम, 2004
7. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (सुरक्षा निधि) विनियम, 2005
8. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (परामि ायों की नियुक्ति) विनियम 2005
9. छ.ग.रा.वि.नि.आ.(छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यांतरिक मुक्त उपयोग) विनियम 2005
10. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (उपभोक्ताओं की ि ाकायतों का निराकरण और फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (प्रथम सं ोधन) विनियम, 2005
11. छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता– 2005
12. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (टैरिफ निर्धारण हेतु शर्ते एवं निबंधन) विनियम, 2006
13. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (शुल्क एवं प्रभार) (प्रथम सं ोधन) विनियम, 2005
14. छत्तीसगढ़ विद्युत ग्रिड कोड विनियम, 2006
15. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की प्रक्रिया) विनियम 2005
16. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) विनियम–2005

17. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (विद्युत वितरण कार्यान्वयन हेतु मानक) विनियम, 2006
18. छ.ग.रा.वि.नि.आ. (सूचना की तामीली व प्रका ान) विनियम, 2006